विदेशी मुद्रा गतिविधियां

जुलाई 2010

भारत सरकार और पूर्ववर्ती यूएसएसआर के बीच 30 अप्रैल 1981 तथा 23 दिसंबर 1985 के आस्थगित भुगतान (राजकीय) व्यापार समझौते

15 जून 2010 के ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.55 के अनुसार 31 मई 2010 से विशेष करेंसी बास्केट का रुपया मूल्य 63.0402 रुपये नियत किया गया।

21 जून 2010 को इसमें एक और संशोधन किया गया और तदनुसार, 24 जून 2010 से विशेष करेंसी बास्केट का रुपया मूल्य 60.8816 रुपये नियत किया गया है ।

ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं. 01 दिनांकित 13 जुलाई 2010

भारत सरकार और पूर्ववर्ती यूएसएसआर के बीच 30 अप्रैल 1981 तथा 23 दिसंबर 1985 के आस्थगित भुगतान (राजकीय) व्यापार समझौते

13 जुलाई 2010 के ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.01 के अनुसार 24 जून 2010 से विशेष करेंसी बास्केट का रुपया मूल्य 60.8816 रुपये नियत किया गया ।

02 जुलाई 2010 से इसमें एक और संशोधन किया गया और तदनुसार, 07 जुलाई 2010 से विशेष करेंसी बास्केट का रुपया मूल्य 62.788607 रुपये नियत किया गया है ।

ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं. 02 दिनांकित 21 जुलाई 2010

माल और सेवाओं का निर्यात- निर्यात आगमों की वसूली और वापसी-उदारीकरण

9 सितंबर 2000 के (ए.पी (डीइआर सीरीज) परिपत्र सं.12, 04 अप्रैल 2001 के (ए.पी (डीइआर सीरीज) परिपत्र सं. 30, 14 दिसंबर 2002 के (ए.पी (डीइआर सीरीज) परिपत्र सं. 61, 05 दिसंबर 2003 के ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.40 और 28 फरवरी 2007 के (ए.पी (डीइआर सीरीज) परिपत्र सं. 33 के अनुसार प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंकों को निर्यातकों द्वारा निर्यात बिलों को बट्टे खाते में डालने के लिए किये गये अनुरोध स्वीकार करने की अनुमति, अन्य बातों के साथ-साथ इस शर्त पर दी गयी है कि निर्यातकों ने संबंधित पोतलदान के संबंध में, यदि कोई निर्यात लाभ लिया हो, तो समानुपातिक निर्यात प्रोत्साहन को वापस करना चाहिए ।

अब वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2009-14 में घोषित किया गया है तथा प्रक्रियाओं की पुस्तिका - खंड I (2009-2014) के पैराग्राफ 2.25.4 में विनिर्दिष्ट किया गया है कि विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के तहत किसी निर्यात संवर्धन योजना के अंतर्गत निर्यात आगम राशि की वसूली कतिपय शर्तों के अधीन जरू री नहीं है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि आयात कर वापसी योजना, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 तथा उसके तहत बनाये गये नियमों के प्रावधानों द्वारा शासित की जाती है, अतः विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) (2009-2014) की प्रक्रियाओं की पुस्तिका - खंड I के पैराग्राफ 2.25.4 में निहित प्रावधान शुल्क वापसी योजना के लिए लागू नहीं होंगे। अतएव, शुल्क वापसी राशि वसूल करनी होगी भले ही दावे का निपटान भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम(ईसीजीसी) द्वारा किया गया हो अथवा बट्टे खाते में डालना रिज़र्व बैंक द्वारा स्वीकृत किया गया हो ।तदनुसार, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -I बैंकों को सूचित किया जाता है कि विदेश व्यापार नीति 2009-2014 के तहत किसी विदेश संवर्धन योजना के अंतर्गत निर्यातक द्वारा शुल्क वापसी योजना के तहत यदि कोई निर्यात लाभ लिया हो तो उससे अन्य समानुपातिक निर्यात प्रोत्साहनों के अभ्यर्पण पर बल न दिया जाए बशर्ते परिपत्र में उल्लिखित के अनुसार शर्तें पूर्ण की जाती हैं।

आरबीआइ (डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.03 दिनांकित 22 जुलाई 2010।

बाह्य वाणिज्य उधार (ईसीबी) नीति-अंतरण वित्त पोषण

वर्तमान मानदंडों के अनुसार, बाह्य वाणिज्य उधार के देशी रुपया ऋणों का पुनर्वित्तीयन स्वीकृत नहीं है। तथापि, संरचना क्षेत्र की विशेष निधीयन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया गया है कि बाह्य वाणिज्य उधार नीति की समीक्षा की जाए तथा अंतरण वित्त पोषण की एक योजना बनायी जाए । तदनुसार, यह निर्णय किया गया है कि नयी परियोजनाओं के विकास के लिए बंदरगाह तथा हवाई अड्डा, पुलों समेत सड़क तथा ऊर्जा क्षेत्र में पात्र उधारकर्ताओं द्वारा देशी बैंकों से लिये गये रुपया ऋणों के पुनर्वित्तीयन के लिए अनुमोदन मार्ग के तहत कतिपय शर्तों पर बाह्य वाणिज्य उधार के जरिये अंतरण वित्त पोषण व्यवस्था की अनुमति दी जानी चाहिए।

तदनुसार, पात्र उधारकर्ता अंतरण वित्त पोषण व्यवस्था में भाग लेने से पहले आवश्यक अनुमोदन के लिए रिज़र्व बैंक को आवेदन कर सकते हैं ।

बाह्य वाणिज्य उधार नीति के सभी अन्य पहलू जैसे स्वचालित मार्ग के तहत प्रति वित्तीय वर्ष प्रति कंपनी 500 मिलियन अमरीकी डॉलर की सीमा, पात्र उधारकर्ता, मान्यताप्राप्त उधारदाता, अंतिम उपयोग, औसत परिपक्वता अवधि, पूर्वभुगतान, वर्तमान बाह्य वाणिज्य उधार का पुनर्वित्तीयन और रिपोर्टिंग व्यवस्था यथावत रहेंगी।

ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं. 04 दिनांकित 22 जुलाई 2010

मान्यताप्राप्त शेयर बाजार/नए शेयर बाज़ारों में मुद्रा-विकल्प (ऑप्शंस) का व्यापार करने के संबंध में दिशा-निर्देश

समय-समय पर यथा संशोधित 3 मई ,2000 की विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा) विनियमावली, 2000 [3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 25/आरबी- 2000] और 6 अगस्त 2008 के ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.05 के अनुसार भारत में निवासी व्यक्तियों को भारत में स्थित मुद्रा-वायदा बाज़ारों में मुद्रा-वायदा बाज़ार (भारतीय रिज़र्व बैंक) निदेश, 2008 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार सहभाग करने की अनुमति दी गयी ।

विदेशी मुद्रा व्यापारिक (एक्स्चेंज ट्रेडेड) बचाव साधनों की प्रचलित विषय सूची में विस्तार करने की दृष्टि से, मौद्रिक नीति वक्तव्य 2010-11 (पैरा 62) में यह घोषित किया गया कि मान्यताप्राप्त शेयर बाज़ारों को निवासियों के लिए हाजिर (स्पॉट) अमरीकी डॉलर/रुपया विनिमय दर पर बिल्कुल सादा मुद्रा ऑप्शन्स (प्लेन वनिला ऑप्शन्स) को प्रारंभ करने की अनुमति दी जाएगी। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा मान्यता प्राप्त शेयर बाज़ारों के मुद्रा व्युत्पन्न खंड में हाजिर अमरीकी डॉलर/रुपया विनिमय दर पर मुद्रा ऑप्शन्स का व्यापार करने के लिए अनुमति दी जाए । मुद्रा विकल्प (ऑप्शन्स) बाज़ार भारतीय रिज़र्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों, दिशा-निर्देशों और अनुदेशों के अधीन कार्य करेगा।

भारत में निवासी व्यक्तियों को भारतीय मुद्रा विकल्प (ऑप्शन्स) बाज़ार में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विदेशी मुद्रा व्यापारिक मुद्रा ऑप्शन्स (भारतीय रिज़र्व बैंक) निदेश, 2010 [30 जुलाई 2010 की अधिसूचना सं. एफईडी .01 /ईडी (एचआरके)-2010] (निदेश) में निहित दिशा-निर्देशों के अधीन सहभाग करने की अनुमति दी गई है।

विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी व्युत्पन्न संविदा) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 25/आरबी-2000) में हुए आवश्यक संशोधन सरकारी राजपत्र में 27 जुलाई 2010 की जी.एस.आर.सं. 635(इ) द्वारा अधिसूचित किए गए हैं।

ए.पी. (डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं. 05 दिनांकित 30 जुलाई 2010